

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1984/आषाढ़ 2, 1906
No. 81] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1984/ASADHA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य संचालय

नई दिल्ली, 23 जून, 1984

नियमित व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 17-ईटीसी(पीएन)/84

विषय :—औषध फार्मूलेशन के नमूनों का नियंत्रण ।

मि. सं. 25/25/81/ई-1.—उपयुक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं.
8-ईटीसी(पीएन)/82, दिनांक 25-2-82 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

सार्वजनिक सूचना सं. 8-ईटीसी(पीएन)/82 दिनांक 25-2-1982 की कड़ीका 3
में निहित प्रावधानों का अधिक्रमण कर यह निश्चय किया गया है कि औषध उत्पादों

के स्थापित नियतिक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से औषध फार्मूलेशन का विदेश में निर्यात अपने चिकित्सा प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से औषध फार्मूलेशन और साहित्य के नमूनों का निर्यात कर सकते हैं। ऐसे स्थापित नियतिक आयात तथा निर्यात नीति 1984-85 (जिल्द-2) के खूले सामान्य लाइसेंस-2 में दी गई सुविधा भी उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन, एक स्थापित नियतिक द्वारा या तो खूले सामान्य लाइसेंस-2 या भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अनुमति से औषध फार्मूलेशन के ऐसे नमूने भेजने के लिए सम्पूर्ण वार्षिक सीमा पूर्व की वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे नियतिक द्वारा निर्यातित औषध उत्पाद के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (इस प्रयोजन के लिए 'स्थापित नियतिक' का अर्थ होगा एक नियतिक जिसने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान औषध उत्पादों का निर्यात किया था)।

औषध फार्मूलेशन के ऐसे नमूनों के पैकिंग पर स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए "चिकित्सा के लिए नमूने" "बिक्री के लिए नहीं"।

औषध फार्मूलेशन के ऐसे नमूनों के निर्यात पर कोई निर्यात लाभ अनुमेय नहीं होगा।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 23rd June, 1984

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 17-ETC (PN)|84

Subject :—Export of samples of drug formulations.

F. No. 25|25|81|E-I.—Attention is invited to Public Notice No. 8-ETC (PN)|82 dated 25th February, 1982, on the above subject.

In supersession of the provisions contained in para 3 of the Public Notice No. 8-ETC (PN)|82 dated 25-2-1982, it has been decided that established exporters of Pharmaceutical Products may export samples of drug formulations and literature to their medical representatives posted abroad independently of the drug formulations with the prior permission of the Reserve Bank of India. Such established exporters can also avail of the facility mentioned in OGL-2 of Import & Export Policy 1984-85, (Volume-II). However, the overall annual limit for sending such samples of drug formulations when exported by an established

exporter either under OGL-2 or under the general permission granted by Reserve Bank of India, shall not exceed 10% of the FOB value of pharmaceutical products by such exporter during the preceding financial year. (Note : "Established Exporter" for this purpose would mean an exporter who exported pharmaceutical products during the preceding two financial years).

Such sample packings of drug formulations should prominently bear the marking 'PHYSICIAN'S SAMPLES. NOT FOR SALE.'

No export benefits shall be admissible on the export of such samples of drug formulations.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

